Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

29/7/19

जमाबंदी रद्दीकरण 27 / 2018

प्रथम पक्ष

1. मो0 मिनतुल्लाह पे0 स्व0 अब्दुल बहाव
साकिन गढिया सुन्दर टोला, फेकराही, थाना–नवहट्टा,
जिला– सहरसा

बनाम

द्वितीय पक्ष

1. सिंधु सिंह पे0 स्व0 तारानन्द सिंह
2. बुचनी देवी पे0 स्व0 तारानन्द सिंह
3. लक्ष्मी सिंह पे0 कारी सिंह,
सभी साकिन – मोहनपुर, थाना+अंचल–नवहट्टा, जिला–सहरसा
..... प्रतिपक्षी प्रथम सेट
4. अंचल अधिकारी, नवहट्टा ..... प्रतिपक्षी द्वितीय सेट

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण मो0 मिनतुल्लाह पे0 स्व0 अब्दुल बहाव साकिन गढिया सुन्दर टोला, फेकराही, थाना–नवहट्टा, जिला – सहरसा ने अंचल अधिकारी, नवहट्टा के द्वारा सिंधु सिंह पे0 स्व0 तारानंद सिंह, बुचनी देवी पे0 स्व0 तारानंद सिंह, लक्ष्मी सिंह पे0 कारी सिंह साकिन– मोहनपुर, थाना+अंचल–नवहट्टा, जिला–सहरसा के नाम दाखिल खारिज वाद सं0 2436 / 2013–14 में पारित आदेश तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा वाद सं0 71 / 14–15 में दिनांक 05.01.2018 में पारित आदेश के आलोक में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
मोहनपुर	40	379	430	03 कट्ठा

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत लक्ष्मी सिंह से आवेदक को खरीदगी है, जिस पर खरीदगी के दिन से ही हकदार और दखलकार हैं। दिनांक 23.10.2013 को आर0 टी0 पी0एस0 दाखिल आवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद संख्या 2436 वर्ष 2013–14 संधारित कर विवादी खेसरा 430 के मूल खतियान में खतियानी रैयत का रकवा शून्य होने के कारण जमाबंदी संख्या 379 / 1272 तारानंद सिंह पे0 बाबू भूप ना0 सिंह के नाम रकवा 31.5 डिसमल खतियानी रकवा से अधिक के कारण आवेदक के दखल–कब्जा रहने के बाबजूद दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी गई।

आवेदक का पुनः कथन है कि उक्त दाखिल खारिज वाद संख्या 2436 दि0 30.11.2013 के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर सहरसा के न्यायालय में विपक्षीगण के द्वारा दाखिल अपील वाद सं0 71 / 2014–15 में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु सक्षम न्यायालय

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

में करने हेतु निदेश के आलोक में विपक्षीगा प्रथम पक्ष के नाम से नाजायज जमाबंदी सं0 379/1272 को रद्द कर खरीदगी केवाला एवं दखल कब्जा के आधार जमाबंदी अपेक्षित है।

प्रतिपक्षी का कथन है कि वाद में वर्णित मौजा मोहनपुर, खाता नया 379, खेसरा नया 430 रकवा 33 डी0 यानि 07 कट्ठा 11 धूर जमीन दिगर एराजी के साथ भोला सिंह, भूप ना0 सिंह, वो लक्ष्मी सिंह पिता कारी सिंह के नाम दर्ज था, जिस पर खतियानी रैयत हकदार वो दखलकार चले आ रहे थे। इनका कथन है कि खतियानी रैयत भोला सिंह, भूपना0 सिंह वो लक्ष्मी सिंह तीनों भाइयों ने आपसी बंटवारा आपस में किया, जिससे विवादित खेसरा 430 रकवा 07 कट्ठा 11 धूर भोला सिंह के हिस्से में आया। जिस पर वो हकदार व दखलकार भी हैं। भोला सिंह की पत्नी रमा देवी थी तथा उन्हें कोई संतान नहीं था, फलस्वरूप अपने देखभाल वो सेवा टहल के लिए भोला सिंह के भाई भूप ना0 सिंह के लड़के तारानंद सिंह को अपने पास रखा था। जिन्हें खुश होकर सेवा टहल के एवज में अपने हिस्से की 07 बीघा 07 कट्ठा 13 धूर जमीन दि0 27.03.82 को निष्पादित दान पत्र के माध्यम से कर दिया। इनका यह भी कथन है कि उक्त दान पत्र को विपक्षी ने कहीं भी कोई चुनौती नहीं दिया तथा उसे स्वीकार कर लिया। कालक्रम में उक्त 07 बीघा 07 कट्ठा 18 धूर में से अधिकांश भूमि बिक्री कर दिया तथा उसमें से वर्तमान में नया खेसरा 430 में कुल रकवा 31.5 डिसमल बचा हुआ है। जिस पर विपक्षी का जमाबंदी सं0 1272 कायम है। इनका यह भी कथन है कि आवेदक के विक्रेता लक्ष्मी सिंह को खेसरा सं0 430 रकवा 07 कट्ठा 11 धूर से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि प्रश्नगत भूमि भोला सिंह के हिस्से की है। उन्होंने आवेदक का आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में आवेदक ने अंचलाधिकारी, नवहट्टा द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 2436/2013–14 में दिनांक 30.11.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर सहरसा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया था। उक्त अपील वाद सं0 71/2014–15 में दि0 05.01.2016 को विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर सहरसा ने यह आदेश पारित किया कि – अपीलार्थी को यदि उत्तरवादी के जमाबंदी के विरूद्ध अगर कोई आपत्ति हो तो वे जमाबंदी रद्दीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह वाद दायर की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी के द्वारा आपसी बंटवारा संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है जिससे यह स्पष्ट होती कि प्रश्नगत भूमि भोला सिंह के हिस्से में आपसी बंटवारा के उपरांत चली गई। खतियान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खेसरा नं0 430 की जमीन भोला सिंह, भूप ना0 सिंह एवं लक्ष्मी सिंह की संयुक्त संपत्ति थी तथा सभी पक्ष का अंश समान था। ऐसी परिस्थिति में किसी एक पक्ष के द्वारा संपूर्ण संपत्ति का हस्तांतरण वैध नहीं माना जा सकता।

उभय पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जमाबंदी के सृजन में दाखिल खारिज अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को भी पूरा नहीं किया गया तथा वगैर खतियानी रैयतों को सूचना

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

निर्गत किये दाखिल खारिज की कार्रवाई पूर्ण की गई, जो किसी भी परिस्थिति में सही नहीं माना जा सकता। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुए जमाबंदी संख्या 1272 को रद्द किया जाता है। अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नियमानुसार नये सिरे से संबंधित पक्षकारों के द्वारा आवेदन किये जाने के उपरांत जमाबंदी सृजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त विनिश्चय के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

अपर समाहर्ता,
सहरसा

अपर समाहर्ता, 29/7/19
सहरसा